

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सर्वश्री ब्लूजम इण्डस्ट्रीज लि0, जानी भंकड़ नैनी दमन, पटना के लेबुलों को "बिहार राज्य" में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1379 दिनांक 07.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री ब्लूजम इण्डस्ट्रीज लि0, जानी भंकड़ नैनी दमन, पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	किंगफिसर प्रिमीयम लेगर बीयर (5प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	330 (केन)	2267/11-12	2267/12-13
2	किंगफिसर प्रिमीयम लेगर बीयर (5प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500 (केन)	2268/11-12	2268/12-13
3	किंगफिसर स्ट्रांग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	330 (केन)	2269/11-12	2269/12-13
4	किंगफिसर स्ट्रांग प्रिमीयम बीयर (8प्रतिशत भी0 भी0 के अंदर)	500 (केन)	2270/11-12	2270/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140 ले0नि0-07/2010

8096

पटना, दिनांक:- 16-4-12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी0 एस0 बी0 सी0 एल0, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री ब्लूजम इण्डस्ट्रीज लि0, जानी भंकड़ नैनी दमन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

16/4/12